

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 414

Dated: 19/07/2024

Certified that the **Vidya Vihar Residential School at Parora, Purnea, Bihar-(854304)** comprised of **0 basement(s) and G+1 G+2, G+3-01** (upper floors) owned/occupied by (**Vidya Vihar Residential School**) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **15-06-2024** in the presence of Fire Officer **Rai Bimal Bidroh** and that the building/premises is fit for occupancy up to classes 12th with effect from **19-07-2024** for a period of **one (2024-25)** year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on **19-07-2024** (date of issue) at **Purnea, Bihar** (place) by

To
Vidya Vihar Residential School
Parora, Purnea, Bihar (854304)

Signature with Seal

..... 19/07/2024

Name

..... सहायक
जिला अग्निशमन पदाधिकारी

Designation

..... सह
अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी
पूरुबियाँ

Name & Address of Department/Office :

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

Email Id - vidyabihar@gmail.com

MOB No - 7979062808

प्रपत्र-श Date - 15/06/2024

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कारवाई हेतु नोटिस।

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43(2)(3) अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)


VIDHYA VIHAR RESIDENTIAL SCHOOL
DARORA, PURNIA (BIHAR)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन:-
2. भवन का निर्माण वर्ष:- 1996 ई०
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण तिथि:- नहीं
5. भवन के अधिभोग का प्रकार :- Group-B-Educational (School)
6. उपकब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार :- स्वयं का
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर) :- 07 मी०, 10 मी०, 13 मी०
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई :- 08 मी०
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में) :- 08 मी०
10. भवन का अच्छादित क्षेत्र (वर्गमीटर):- (तलघर और स्टील्स सहित सभी मंजिलों का):- 4,988 वर्गमीटर
11. मंजिलों की संख्या:- G+1, G+2, G+3
12. तलघर की संख्या :- 00
13. रिटल्ट/भूतल की संख्या :- 05
14. ब्लॉक की संख्या :- 05
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार :- 50 लक्ष्ये
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- 200-250 वर्गमी० इकाइयों की सं० 20 ब्लॉक
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) :- NH-107 क्षमदाहा रोड पूरियाँ
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? :- हाँ
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? :- नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैंक की चौड़ाई :- 20-15 मी० 40-20
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच :- हाँ 30-20 40-20 मी०
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है? :- चौड़ाई-21 मी० ऊँचाई-18 मी०
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) :- हाँ वाहनों की सं०-05
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ की दूरी) :- 80 मी०
25. प्रवेश द्वार की संख्या :- 02
26. निकासी द्वार की संख्या :- 02
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :- 10 मी०
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीडर्स की चौड़ाई/राइजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) :- 02 (सर्वेक्लर ब्लॉक)
29. बाहरी सीढ़ी (संख्या/ट्रीडर्स की चौड़ाई/राइजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) :- 00
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) :- 15 मी०
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप) :- हाँ
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- हाँ
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- नहीं
37. बंद ऊर्ध्वाधर खुला स्थान :- नहीं
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता वांछित नहीं) :- हाँ
39. क्षैतिज निकास की स्थिति :- हाँ
40. निकासी हेतु रोशनीकरण निकासी संकेत :- हाँ

41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेंटीलेशन/इत्यादि :- नहीं
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं
43. कम्पार्टमेंटलाईजेशन :- नहीं
44. फुँआ निकारी व्यवस्था :- हैं
45. विद्युत अधिष्ठापन :- हैं
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफार्मर :- ट्रांसफार्मर (200KVA)
47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत :- जर्नेट 2 - 04 अक्षर
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- हैं
49. आसमानी बिजली से संरक्षण एवं प्रावधान :- हैं
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाईटिंग अधिष्ठान (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-07 के अनुसार) :- हैं
51. स्वचालित और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- हैं
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- नहीं
53. नली रील :- हैं
54. वेट राईजर्स :- नहीं
55. सूखी राईजर्स :- नहीं
56. डाउन कमर :- हैं
57. यार्ड हाइड्रेंट :- हैं
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या :- 00 कुल क्षमता :- 00 लीटर)
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता -लीटर) :- सं० :- 02 कुल क्षमता - 10,000 लीटर (प्रत्येक Block में)
60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रीकल मुख्य पम्प/स्टैंडवाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बुस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- विद्युत पम्प 02HP Tanyace pump - 3.5Kslcm³ - 450Lts
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवता/मैक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आई0एस0आई0 का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- NBC-04kg-45PIC
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नहीं
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- हैं Co2-4.5kg-12PIC
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं m. foam - 09Ltr-0
65. अन्य बिन्दु प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है। Sand Bucket - 05 PIC
- जाँच पदाधिकारी का मतव्य :- Ref - 10/05/2024

आवेदन पत्र के आलोक में विद्यालय का अग्नि अंकेशन दिनांक 15/06/2024 को किया गया जिसमें देखा गया कि राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016 के पार्ट-4 तालिका नं०-07 में Educational Building (Group के (less than 15m in height, unround plus one, or more storeys) निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक Block Building में हो जरील, डाउन व यार्ड हाइड्रेंट तथा पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र अधिष्ठापित कर गया है, जो-चाहू व क्रियाशील अवस्था में है। अतः इन्हें अग्नि अंकेशन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

अतः संबंधक प्राधिक को निर्देश दिया जाता है कि आग संस्थान में लगे फायर फाईटिंग उपकरणों का निरन्तर संचालन पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों का पोषण व रखरखाव प्रानक के अंत करते रहेंगे। प्रति 06 महीने पर कचरों व गिरकों की अग्नि अग्निशामक विभाग के साथ प्रौढनील करवा सुनिश्चित करेंगे।


 जिला अग्निशामक अधिकारी
 अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिक
 पूर्णियाँ